



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 1733 सन् 2026

लखन सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ब्रजेश नाथ राय, राजीव उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता
उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेश नाथ राय की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल मिश्रा और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना।
2. इस न्यायालय ने 06.02.2026 को रिट याचिका पर विचार किया और निर्देश मांगा। निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं।
3. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिरोध में एक बयान दिया है कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं। वह कोई प्रति शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
4. पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय किया जा रहा है।
5. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 31.12.2023 को ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास कार्यालय, चरखारी, महोबा के रूप में सेवानिवृत्त हुए। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में काम करने के संबंध में रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए जाने वाले आरोपों के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कारण, 20.05.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को बताया गया था कि पुनः लेखा परीक्षण आपत्तियों में पाई गई खामियों को देखते हुए उचित कार्रवाई और वसूली क्यों की जाए। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने दिनांक 20.05.2025 के कारण बताओ नोटिस का जवाब 09.06.2025 को दिया था। यद्यपि, याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरदाताओं द्वारा यह रुख अपनाया जाना चाहिए कि रिट याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया था, इस प्रकार 09.10.2025 को एक और नोटिस जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब 15.11.2025 को प्रस्तुत किया और उसके बाद, अब, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 09.12.2025 को जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा द्वारा नोटिस/आदेश पारित किया गया, जिसमें ₹7,91,060.00 का 50% अर्थात् 3,95,530/- रुपये की वसूली करने की मांग की गई थी।

6. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका संस्थित की गई है।

7. इस न्यायालय ने 06.02.2026 को रिट याचिका पर विचार किया, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि वह एक सेवानिवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जो 31.12.2023 को सेवानिवृत्त हुए थे, यद्यपि, वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक के आरोपों के लिए, 20.05.2025 को वसूली के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 09.06.2025 को दिया गया और रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किए बिना, आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है।

2. इस मामले को 09.02.2026 को नई सूची में रखें, तब तक श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता निर्देश प्राप्त करें।"

8. रिट याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की कि सबसे पहले, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली वसूली उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1957 के नियम 256 और 257 के अंतर्गत प्रदान की गई वैधानिक अवधि से परे समय-बाधित है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को 20.05.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने 09.06.2025 को अपना जवाब दिया और उसके बाद उत्तरदाताओं के अनुसार, 09.10.2025 को एक और नोटिस जारी किया गया, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने 15.11.2025 को अपना जवाब दिया, लेकिन रिट याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस पर प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तर पर विचार नहीं किया गया है और कलम के एक ही वार से, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध वह आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो उस पर वित्तीय दायित्व डालता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

9. प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, यद्यपि यह प्रक्रिया कारण बताओ नोटिस का रूप ले लेती है, और एक बार जब रिट याचिकाकर्ता का विशिष्ट उत्तर है कि उसने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, और यदि जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार, वह उत्तर संतोषजनक और उपयुक्त नहीं था, तब भी कारण बताओ नोटिस के जवाब में उठाए जाने वाले तर्कों का खंडन करते समय उचित कारण बताए जाने चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उक्त प्रक्रियाका यहाँ पूरी तरह से अभाव है, इसलिए आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

10. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता को 20.05.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परन्तु याचिकाकर्ता ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद, 09.10.2025 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर भी याचिकाकर्ता ने उपयुक्त जवाब नहीं दिया और अंततः, 09.12.2025 को फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर, आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

11. मैंने प्रतिरोध में उठाई गई प्रस्तुतियों को सुना है और अभिलेख का ध्यान से अवलोकन किया है।

12. जाहिर है, रिट याचिकाकर्ता एक ग्राम पंचायत अधिकारी है, और उसे जून 2011 से दिसंबर 2011 की अवधि के लिए तैनात रहने के दौरान उसके द्वारा की गई कमियों के आरोपों के लिए 20.05.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने उक्त नोटिस का अपना जवाब 09.06.2025 (पृष्ठ 44 पर अनुलग्नक-7) को प्रस्तुत किया है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 09.10.2025 को फिर से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने 15.11.2025 (पेपर बुक के पृष्ठ 152 पर) को अपना जवाब दिया। दिनांक 15.11.2025 के उत्तर में, रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा 09.06.2025 को प्रस्तुत पहले के उत्तर का उल्लेख किया था। दिनांक 15.11.2025 का उत्तर यहां उद्धृत किया गया है:-

"महोदय,

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा पत्रांक

1091/7-पं0/सांलि0/अधिकार/नोटिस/2025-26 दिनांक 09/10/2025 अधिभार /नोटिस/स्पष्टीकरण के सम्बंध में अवगत कराना है कि मैंने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 09/06/2025 को रजिस्टर्ड डाक से आपकी सेवा में साक्ष्य सहित भेजा था और प्रतिलिपि श्रीमान् जिला लेखा परीक्षक अधिकारी, महोबा को भेजा था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

निर्धारित प्रारूप पर प्रतिवेदन स०वि० अधिकारी (पं०) कृत देने पर उन्होंने लेने से इन्कार करने पर वर्तमान प्रधान जी को दिया था जो उनके पास अभी भी जमा है।

मेरी सेवा निवृत्ति 31/12/2023 को हो गई थी मेरे पास अब कोई भी अभिलेख नहीं है मेरे द्वारा श्री अमित खरे ग्रा०वि० अधिकारी को जुलाई 2013 में समस्त अभिलेखों का चार्ज दे दिया गया था।

पुनः स्पष्टीकरण आपकी सेवा में प्रस्तुत है। पूर्व में दिए गये स्पष्टीकरण की 03 छाया प्रतियां संलग्न कर सेवा में प्रेषित है। कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।"

13. जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा के दिनांक 10.02.2026 के निर्देशों में, पैराग्राफ संख्या 6 में संदर्भ दिया गया है, कि रिट याचिकाकर्ता ने 15.11.2025 को नोटिस का अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसका प्रासंगिक उद्धरण यहां उद्धृत किया गया है:-

"6. याची श्री लाखन सिंह, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत-गोरखा द्वारा उपरोक्त पत्र के क्रम में आपत्ति के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुपालन आख्या साक्ष्यों सहित जिला लेखा

परीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न कर अपने पत्र दिनांक- 15.11.2025 के साथ पत्र दिनांक-09.06.2025 की छायाप्रति जो पूर्व में इस कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी (पं०) चरखारी के माध्यम से भेजी ही नहीं गयी को संलग्न कर ग्राम पंचायत-गोरखा के अभिलेख चार्ज में अन्य सचिव को दे दिये जाने का उल्लेख किया गया (पृष्ठ संख्या-16 से 18 तक)।"

14. निर्देश पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि निर्देशों में, इतना स्वीकार किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता ने 09.10.2025 को कारण बताओ नोटिस पर 15.11.2025 को अपना जवाब दिया था। यद्यपि, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.10.2025 को 15.11.2025 को कारण बताओ नोटिस पर प्रस्तुत उत्तर के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी के दिनांक 09.10.2025 के आदेश में कोई उल्लेख नहीं है।

15. बात चाहे जो भी हो, एक बार जब ऐसी दलीलें प्रस्तुत की गई हैं, विवाद उठाए जाने के बाद, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, पर्याप्त हैं, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी के अनुसार, वे पर्याप्त नहीं हैं, तो भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारणों को दर्ज करना आवश्यक है कि कैसे और किन परिस्थितियों में, नोटिसकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलें टिकाऊ नहीं हैं। चूंकि आदेश पूरी तरह से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अनदेखा करता है और उस पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए, आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जा रहा है:

1. जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा द्वारा दिनांक 09.12.2025 को पारित नोटिस/आदेश को रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

2. इस मामले को जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा को वापस भेजा जाता है ताकि वे छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित कर सकें।
3. शीघ्र निस्तारण के लिए रिट याचिकाकर्ता आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति 13.03.2026 तक जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा के समक्ष दाखिल करेगा।
4. उक्त प्रस्ताव पर, प्राधिकारी तीव्र गति के साथ मामले पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।
16. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर, आक्षेपित आदेश को रद्द किया गया है, इस प्रकार इसे गुण-दोष के आधार पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि निर्णायक प्राधिकारी विधि के अनुसार सख्ती से एक आदेश पारित करेगा।
17. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

फ़रवरी 23, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"